राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2129/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
चेतन दास केसवानी 2 ख 7] हाउसिंग बोर्ड] शास्त्री नगर जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविधालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से डॉ. कपिल गुप्ता, सह आचार्य, एवं डॉ. सुमन बबूता, सहायक आचार्य उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 07-07-2017 के द्वारा सर्विस बुक में इन्द्राज पदोन्नति आदि विषयों से संबंधित 13 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि मांगी गई सूचनाऐं जानबूझ कर उपलब्ध नहीं कराई गई है, सूचनाऐं दिलायी जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा बार-बार सूचनाऐं मांगी जाती रही है। इस आवेदन से संबंधित सूचना पत्र दिनांक 07-09-2017 से प्रेषित की गई है। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 06-11-2017 की पालना में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 10-11-2017 से रिकार्ड अवलोकन के लिए सूचित किया गया। अपीलार्थी रिकार्ड अवलोकन को उपस्थित नहीं हुआ तथा वांछित सूचना को प्रश्नात्मक होने से अदेय होना बताया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 01-05-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 07-09-2017 यूओ नोट दिनांक 05-04-2017, पत्र दिनांक 13-12-2017, 10-12-2017, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 06-11-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी के कथन को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक,

समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना शुल्क प्राप्त कर सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करादें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त